



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)
गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)
(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/ 6223

दिनांक : 8.4.2022

आदेश

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेंट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉयमेंट रूल्स, 2017 (as and when ammended) के नियम 28 के अन्तर्गत शिशु रोग विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची एतद् द्वारा जारी की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक इससे परिवेदित होता है तो, इसके जारी होने की तिथि से 07 दिवस की समयवधि में अपना अभ्यावेदन प्रमाणित दस्तावेजों सहित द्वारा प्रधानाचार्य इस कार्यालय को निश्चित रूप से प्रेषित कर दें। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी :-

PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Jagdish Solanki	General	10.09.1956
2.	Dr. Ramakishan Bishnoi (A.C.P. 2021-2022)	General	02.01.1980

ASSOCIATE PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Indira Subhadarshini Paul	General	01.07.1987
2.	Dr. Sameer Jagarwal	General	05.11.1984

ASSISTANT PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Kuldeep Singh Rajpoot	General	03.09.1984
2.	Dr. Himanshu Goyal	General	07.12.1987
3.	Dr. Amit Shandilya	General	22.09.1980
4.	Dr. Ram Prakash Bairwa	SC	04.02.1990
5.	Dr. Khurshida Bano	OBC	17.10.1985

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/ 6223

दिनांक : 8.4.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरु/डूंगरपुर/बाड़मेर/सीकर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर